शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर

धरमपुरा–2, जगदलपुर, जिला–बस्तर, छत्तीसगढ़, भारत पिनकोड 494001

Shaheed Mahendra Karma Vishwavidyalaya, Bastar

Dharampura-2, Jagdalpur, Distt.-Bastar, Chhattisgarh, India, Pincode 494001

TelePhone 07782-229037, Fax 07782-229037, Website: www.bvvjdp.ac.in

क्रमांक / 941 / ब.वि.वि. / अका. / 2021 जगदलपुर, दिनांक 21 / 10 / 2021

//विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 21.10.2021 का कार्यवाही विवरण//

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर के विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 21.10.2021 को अपरान्ह 12.30 बजे विश्वविद्यालय के सभाकक्ष में आहूत की गई। कोविड–19 के नियंत्रण हेतु शासन/प्रशासन द्वारा जारी सभी प्रोटोकाल एवं निर्देशों का पालन करते हुए बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए तथा शेष निम्नलिखित सदस्य विडियो कॉन्फ्रेसिंग (Google Meet App) के माध्यम से बैठक में सम्मिलित हुए :–

बैठक में उपस्थित सदस्य :–

1.	प्रोफेसर (डॉ.) शैलेन्द्र कुमार सिंह कुलपति, शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर		अध्यक्ष
02.	श्री ईश्वर प्रसाद तिवारी, प्राचार्य एवं शिक्षा संकायाध्यक्ष श्री वेदमाता गांयत्री शिक्षा महाविद्यालय, जगदलपुर	–	सदस्य
03.	डॉ. विनोद कुमार पाठक, कुलसचिव शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर जगदलपुर	–	सचिव

गूगल मीट एप के माध्यम से बैठक में ऑनलाईन सम्मिलित सदस्य :–

04.	डॉ. के. इंदिरा, प्राध्यापक (रसायनशास्त्र) एवं विज्ञान संकायाध्यक्ष शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर	–	सदस्य
05.	डॉ. श्रीमती रश्मि शुक्ला, प्राध्यापक (गृहविज्ञान) एवं गृहविज्ञान संकायाध्यक्ष शासकीय दन्तेश्वरी कन्या महाविद्यालय, जगदलपुर	–	सदस्य
06.	डॉ. ए.के. दीक्षित, प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) एवं सामाजिक विज्ञान संकायाध्यक्ष, शासकीय इन्द्रावती महाविद्यालय, भोपालपट्नम	–	सदस्य
07.	डॉ. आर. के. हिरकने, प्राध्यापक (वाणिज्य) एवं वाणिज्य संकायाध्यक्ष शासकीय दन्तेश्वरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दन्तेवाड़ा	–	सदस्य

21 OCT 2021

विषय क्रमांक – 1 (विश्वविद्यालय के पी–एच.डी. प्रकोष्ठ का प्रस्ताव)

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर जगदलपुर के पी–एच.डी. शोध केन्द्र संबंधी विनियम–107 को प्रतिस्थापित करते हुए नवीन विनियम–107 लागू करने के संबंध में।

विभागीय टीप :–

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर जगदलपुर में वर्तमान में पी–एच.डी. पाठ्यक्रम अन्तर्गत शोध कार्य सम्पादित किये जाने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त शोध केन्द्रों की संख्या सीमित है। भविष्य में नये विषयों में पी–एच.डी. प्रारंभ किया जाना है। अतः पी–एच.डी. शोध केन्द्र संबंधी प्रचलित विनियम–107 को प्रतिस्थापित करते हुए विश्वविद्यालय के पी–एच.डी. प्रकोष्ठ द्वारा तैयार किये गये नवीन विनियम–107 लागू किये जाना प्रस्तावित है। साथ ही शोध केन्द्र के मान्यता एवं शोध निर्देशक/सहनिर्देशक की मान्यता के लिए प्रारूप का अनुमोदन कराया जाना है।

निर्णय :–

सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक – 2 (विश्वविद्यालय के अकादमिक विभाग का प्रस्ताव)

शासकीय महाविद्यालय, सरोना (साल्हेभाटा) में संचालित कला संकाय अंतर्गत स्नातक पाठ्यक्रम – बी.ए. भाग 1, 2, 3, विज्ञान संकाय अंतर्गत स्नातक पाठ्यक्रम –बी.एस.सी. भाग 1, 2, 3 बायो समूह एवं वाणिज्य संकाय अंतर्गत स्नातक पाठ्यक्रम – बी.कॉम भाग 1, 2, 3 की स्थायी संबद्धता प्रदान करने के संबंध में।

विभागीय टीप :–

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर जगदलपुर से संबद्ध शासकीय महाविद्यालय, सरोना (साल्हेभाटा) में संचालित कला संकाय अंतर्गत स्नातक पाठ्यक्रम – बी.ए. भाग 1, 2, 3, विज्ञान संकाय अंतर्गत स्नातक पाठ्यक्रम –बी.एस.सी. भाग 1, 2, 3 बायो समूह एवं वाणिज्य संकाय अंतर्गत स्नातक पाठ्यक्रम – बी.कॉम भाग 1, 2, 3 की स्थायी संबद्धता प्रदान करने के लिए महाविद्यालय से प्राप्त शुल्कमय आवेदन के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारां निरीक्षण समिति का गठन कर निरीक्षण कराया गया है। निरीक्षण समिति द्वारा स्थायी संबद्धता प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई है। अतः निरीक्षण समिति की अनुशंसा के आधार पर महाविद्यालय में संचालित उपरोक्त पाठ्यक्रमों की स्थायी संबद्धता प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।

निर्णय :–

सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक – 3 (विश्वविद्यालय के परीक्षा/गोपनीय विभाग का प्रस्ताव)

सत्र 2020–21 की वार्षिक परीक्षाओं के आयोजन हेतु जारी अधिसूचना/आदेश/निर्देश में संशोधन करने तथा पुनर्गणना एवं पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया प्रारंभ करने के संबंध में।

विभागीय टीपः–

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 17–1/2021/38–2 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 21/04/2021 के माध्यम से प्रदेश के राजकीय एवं निजी विश्वविद्यालयों में शिक्षा सत्र 2020–21 की समस्त परीक्षाएँ ऑनलाईन/ब्लैण्डेड मोड में आयोजित करने की अनुमति प्रदान की गई है, उक्त आदेश के परिपालन में विश्वविद्यालय द्वारा ब्लैण्डेड मोड में परीक्षाएँ आयोजित की गई है।

वार्षिक परीक्षा 2021 सत्र 2020–21 के आयोजन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों में पूरक/पुनर्मूल्यांकन/पुर्नगणना परीक्षा का प्रावधान नहीं रखा गया था। विश्वविद्यालय द्वारा जारी परीक्षा परिणाम में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के कुछ परीक्षार्थी सैद्धांतिक प्रश्न पत्रों में अनुत्तीर्ण घोषित किये गये हैं। परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट परीक्षार्थियों से प्राप्त आवेदनों में परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण होने के कारण साल खराब होने का उल्लेख किया गया है।

अतः विश्वविद्यालय द्वारा जारी महाविद्यालय/परीक्षा केन्द्रों के लिए निर्देश क्रमांक 1257/परीक्षा/गोपनीय/ ब.वि.वि./ 2020–21 जगदलपुर दिनांक 16/06/2021 की कंडिका क्रमांक 12 एवं परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश क्रमांक/1255/परीक्षा/ गोपनीय/ब.वि.वि./2020–21 जगदलपुर दिनांक 16/06/2021 की कंडिका 14 में उल्लेखित "**इस परीक्षा प्रणाली में पुनर्मूल्यांकन/पुर्नगणना/पूरक परीक्षा के प्रावधान नहीं होगें।**" को संशोधित करते हुए विश्वविद्यालय अध्यादेश क्रमांक 6 में उपलब्ध प्रावधानों के अनुसार पुनर्मूल्यांकन एवं पुर्नगणना किये जाने हेतु प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :–

विश्वविद्यालय अध्यादेश क्रमांक 6 में उपलब्ध प्रावधानों के अनुसार पुनर्मूल्यांकन एवं पुर्नगणना कराये जाने का अनुमोदन किया गया।

21 OCT 2021

विषय क्रमांक – 4 (विश्वविद्यालय के परीक्षा/गोपनीय विभाग का प्रस्ताव)

सत्र 2020–21 की स्नातक स्तर के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की प्रायोगिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण छात्र–छात्राओं की पुनः परीक्षा/विशेष परीक्षा आयोजित करने के संबंध में।

विभागीय टीप :–

वार्षिक परीक्षा 2021 सत्र 2020–21 के आयोजन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों में पूरक/पुनर्मूल्यांकन/पुर्नगणना परीक्षा का प्रावधान नहीं रखा गया था। विश्वविद्यालय द्वारा जारी परीक्षा परिणाम में स्नातक स्तर के कुछ परीक्षार्थी प्रायोगिक प्रश्न पत्रों में अनुत्तीर्ण घोषित किये गये हैं। परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट परीक्षार्थियों से प्राप्त आवेदनों में परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण होने के कारण साल खराब होने का उल्लेख किया गया है।

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 08/09/2021 के अनुसार **''वार्षिक परीक्षा 2020–21 में स्नातक भाग–03 के प्रायोगिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण छात्रों हेतु विशेष परीक्षा आयोजन की अनुमति कोविड–19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में प्रदान की जाती है,** उक्त निर्णय को कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 08/09/2021 को विषय क्रमांक 01 में अनुमोदन प्रदान किया गया। इसी तारतम्य में सत्र 2020–21 की स्नातक स्तर के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की प्रायोगिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण छात्र–छात्राओं की पुनः परीक्षा/विशेष परीक्षा आयोजित किये जाने हेतु प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :–

कोविड–19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में वार्षिक परीक्षा 2020–21 में स्नातक भाग–03 के प्रायोगिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण छात्रों हेतु विशेष परीक्षा आयोजन की प्रदान की गई अनुमति के अनुसार स्नातक भाग–एक एवं दो में प्रायोगिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों, जो सैद्धांतिक विषयों के प्रश्नप्रत्रों की परीक्षा में उत्तीर्ण है, के लिए विशेष परीक्षा आयोजन की अनुमति प्रदान की गई।

विषय क्रमांक – 5

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय।

विषय क्रमांक – 1 (विश्वविद्यालय के अकादमिक विभाग का प्रस्ताव)

शासकीय स्वामी आत्मानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नारायणपुर में शैक्षणिक सत्र 2020–21 से संचालित नवीन विषय/पाठ्यक्रम एम.ए. हिन्दी (सीट संख्या–20), बी.सी.ए. (सीट संख्या–40) एवं डी.सी.ए. (सीट संख्या–40) का प्रथम संबद्धता आदेश जारी करने के संबंध में।

विभागीय टीप :–

शासकीय स्वामी आत्मानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नारायणपुर में शैक्षणिक सत्र 2020–21 से संचालित नवीन विषय/पाठ्यक्रम एम.ए. हिन्दी (सीट संख्या–20), बी.सी.ए. (सीट संख्या–40) एवं डी.सी.ए. (सीट संख्या–40) विश्वविद्यालय स्तर पर गठित निरीक्षण समिति द्वारा निरीक्षण कर अनुशंसा किया गया है। अतः सत्र 2020–21 से उपरोक्त पाठ्यक्रमों की अस्थायी वार्षिक संबद्धता प्रदान किया जा सकता है।

निर्णय :–

सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

21 OCT 2021

विषय क्रमांक – 2 (विश्वविद्यालय के परीक्षा/गोपनीय विभाग का प्रस्ताव)

विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 25वीं बैठक दिनांक 19.04.2017 के प्रस्ताव क्रमांक 11 **"वार्षिक परीक्षा परिणाम में आंतरिक मूल्यांकन के अंक जोड़ने संबंधी"** के निर्णयानुसार सत्र 2021–22 से लागू करने के संबंध में।

विभागीय टीप :–

दिनांक 19.04.2017 को आयोजित समन्वय समिति की 25वीं बैठक के कार्यवाही विवरण के प्रस्ताव क्रमांक 11 **"वार्षिक परीक्षा परिणाम में आंतरिक मूल्यांकन के अंक जोड़ने संबंधी"** के प्रस्ताव के टीप अनुसार स्नातक स्तर पर अकादमिक कैलेण्डर के अंतिम परीक्षाओं का कार्यक्रम घोषित किया जाता है। जिसमें चार यूनिट परीक्षा एवं प्रथम सत्र परीक्षा, द्वितीय सत्र परीक्षा तथा प्री–फाइनल परीक्षा की तिथि घोषित की जाती है किन्तु इन परीक्षाओं में प्राप्त अंक वार्षिक परीक्षा परिणाम में जोड़े नहीं जाते हैं जिससे छात्र इन परीक्षाओं को गम्भीरता से नहीं लेते, अतः शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाने की दृष्टि से छः माही परीक्षा के अंक को वार्षिक परीक्षा के अंक में जोड़ा जाना है, जिसमें आंतरिक मूल्यांकन का अंक 10 प्रतिशत एवं मुख्य परीक्षा का अंक 90 प्रतिशत होगा।

उपरोक्त प्रस्ताव एवं टीप पर समन्वय समिति की निर्णयानुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। अतः **"वार्षिक परीक्षा परिणाम में आंतरिक मूल्यांकन के अंक जोड़ने संबंधी"** के निर्णयानुसार स्नातक स्तर पर सत्र 2021–22 में स्नातक भाग–एक/प्रथम वर्ष की परीक्षाओं से लागू करने के संबंध में प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत है। स्नातक भाग–दो/द्वितीय वर्ष तथा स्नातक भाग–तीन/तृतीय वर्ष की परीक्षाओं में क्रमशः आगामी सत्र में लागू किया जायेगा।

निर्णय :–

सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

कुलपति
शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर,
जगदलपुर, जिला– बस्तर (छ.ग.)

कुलसचिव
शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर,
जगदलपुर, जिला– बस्तर (छ.ग.)

21 OCT 2021